

न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

टिब्बी जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :- सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न० 104 / 2026

- 1 सुरेन्द्र कुमार पुत्र हसंराज जाति सुथार निवासी गिलवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम्

- 1 शंकरलाल पुत्र रखाराम } जाति सुथार निवासीयान गिलवाला तहसील टिब्बी जिला
2 बन्ती पत्नी शंकरलाल } हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री सुभाष गर्ग व प्रतिवादी वकील करनैलसिंह अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:- क. वादी सुरेन्द्र कुमार को बंटवारा में प्राप्त आराजी:- चकनं० 1 एफटीपी बी के खाता सं० 204/179 में प्रतिवादी सं० 1 शंकरलाल के नाम की आराजी में से प०न० 210/234 मु० 38 किलानं० 23/127 है० पूर्वी दिशा, 24,25/.506 है०, चकनं० 8 एफटीपी ए के खाता सं० 74 /70 में प्रतिवादी सं० 1 शंकरलाल के नाम से अंकित कुल 2.1510 है०, चकनं० 1 एफटीपी बी के खाता सं० 94/76 में अंकित कुल 1.012 है० में से प्रतिवादीया सं० 2 बन्ती के 1/2 हिस्सा की आराजी, इसी चक के खाता सं० 95/77 में अंकित कुल 2.277 है० आराजी में से प्रतिवादीया सं० 2 बन्ती के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा की भूमि, चकनं० 1 एफटीपी बी के खाता सं० 68/47 में अंकित प्रतिवादीया सं० 2 बन्ती के नाम की कुल 1.3920 है० आराजी


ख. प्रतिवादी सं० 1 शंकरलाल को प्राप्त आराजी:- चक नं० 8 एफटीपी ए के खाता सं० 94/83 में अंकित कुल 1.265 है० में से वादी सुरेन्द्र कुमार के 1/4 हिस्सा की भूमि, चक नं० 8 एफटीपी बी के खाता सं० 125/4 में अंकित वादी सुरेन्द्र कुमार के नाम की कुल 1.7970 है०

ग. प्रतिवादीया सं० 2 बन्ती को प्राप्त आराजी:- चक नं० 8 एफटीपी ए के खाता सं० 95/84 में अंकित कुल 6.325 है० भूमि में वादी सुरेन्द्र कुमार का 4744/18975 हिस्सा, चकनं० 8 एफटीपी ए के खाता सं० 51/55 में अंकित कुल 2.024 है० भूमि में वादी सुरेन्द्र कुमार का 1/3 हिस्सा, चकनं० 8 एफटीपी ए के खाता सं० 50/51 में अंकित कुल 1.265 है० में से वादी सुरेन्द्र कुमार का 1/3 हिस्सा, चकनं० 8 एफटीपी ए के खाता सं० 52/54 में अंकित कुल 0.506 है० में से वादी सुरेन्द्र कुमार के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा की भूमि, के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व चक नं० 1 एफटीपी बी के खाता सं० 204/179 में से शंकरलाल का हिस्सा कम चकनं० 8 एफटीपी ए के खाता सं० 74/70 मे से शंकरलाल का

साम कलमजन, इसी चक के खाता सं० 94/83 में से सुरेन्द्र कुमार का नाम कलमजन, चक नं० 8 एफटीपी बी के खाता सं० 125/4 में से सुरेन्द्र कुमार का नाम कलमजन, चकनं० 8 एफटीपी ए के खाता सं० 95/84 व इसी चक के खाता सं० 51/55, इसी चक के खाता सं० 50/51, इसी चक के खाता सं० 52/54 में से सुरेन्द्र कुमार का नाम कलमजन, चकनं० 1 एफटीपी के खाता सं० 94/76 व इसी चक के खाता सं० 95/77 में से बन्ती का नाम कलमजन तथा चक नं० 1 एफटीपी बी के खाता सं० 68/47 में से बन्ती का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एवं जमाबंदी में गै०मु० रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/4/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।




(सत्यनारायण राय R.A.S)
उपस्थंड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलेक्टर टिब्बी।